

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 729] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 26, 2015/अग्रहायण 5, 1937  
No. 729] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 2015/AGRAHAYANA 5, 1937

---

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2015

**सं. 4/2015-स्वापक नियंत्रण-1**

**सा.का.नि. 904(अ).**— स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के नियम 8 के अनुपालन में केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 757 (अ), दिनांक 5 अक्टूबर, 2015, भारत के राजपत्र असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

1. उक्त अधिसूचना सं. सा.का.नि. 757 (अ), दिनांक 5 अक्टूबर, 2015, के पैरा 2 में, उप-पैरा (v) के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“(vi) ऐसे किसान जो 55 डिग्री से कम गाढ़ता वाले अफीम देने के कारण फसल वर्ष 2009-10 से 2014-15 के दौरान अफीम की खेती के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के अयोग्य हो गए थे;

(vii) ऐसे किसान जो लगातार दो वर्ष की अवधि तक अपनी पोस्त की सम्पूर्ण फसल की जुताई कर देने के कारण फसल वर्ष 2009-10 से 2014-15 के दौरान अफीम की खेती के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के अयोग्य हो गए थे।”

[फा.सं.14011/01/2015-एनसी-1]

टी.के. सत्पथी, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th November, 2015

**No. 4/2015-NARCOTICS CONTROL-I**

**G.S.R. 904(E).**— In pursuance of rule 8 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, the Central Government hereby makes following amendment in the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, Notification No. G.S.R. 757(E) dated 5<sup>th</sup> October, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), namely:-

1. In the said notification No. G.S.R. 757(E) dated 5<sup>th</sup> October, 2015, in Para 2, after sub-para (v), the following shall be inserted, namely:-

- “(vi) Cultivators who became ineligible for issue of licence to cultivate opium poppy during the crop years 2009-10 to 2014-15 for tendering opium below 55 degree consistency;
- (vii) Cultivators who became ineligible for issue of licence to cultivate opium poppy during the crop years 2009-10 to 2014-15 for ploughing back their entire poppy crop for a continuous period of two years.”.

[F. No. 14011/01/2015-NC-I]

T. K. SATPATHY, Under Secy.